Visual Evidence for Victims

सारी सेवाएं मुफ्त एवं गोपनीय हैं

क्या आप घैरलू अत्याचार के शिकार हैं ?

क्या आप घृणा सम्बन्धित अपराध के शिकार हैं ?

क्या आप यौन सम्बन्धित अत्याचार के शिकार हैं ?

क्या आप क्षतिग्रस्त व्यक्ति हैं अथवा क्या आपके सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया गया है ?

इस अपराध के बारे में पुलिस को बताने के लिये तैयार नहीं ? - विशुआल एविडेंस फॉर विकटिम्स (वि.ई.वि) आपकी सहायता कर सकता है -

उग्र अपराध के शिकार बहुत सारे व्यक्ति, पुलिस को इसके बारे में ना बताना पसन्द करते हैं, परंतु, एक अत्याचारित व्यक्ति उस पर किये गये अत्याचार के बारे में स्वेच्छा खण्ड के किसी एजेंसी के पास इस बात को अभिलिखित करने के लिये इच्छुक हो सकता है | वि.ई.वि परिकल्पना का निर्माण इसलिये किया गया था जिससे कि लोग अपराध के सबूत को किसी स्वेच्छा एजेंसी के द्वारा अभिलिखित करा सकें और उस अत्याचारित व्यक्ति को पुलिस के पास ना जाना पड़े | आपके इलाके में बहुत सारी एजेंसियों के पास ऐसे कर्मचारी हैं जो वि.ई.वि द्वारा अनुमोदित कैमेरा के प्रयोग से अत्याचार एवं सम्पत्ति पर किये गये नुकसान को रेकॉर्ड करने के विषय पर प्रशिक्षित हैं |

- शारीरिक चोट – गुमटा, कटना, खरोंच, खींच कर निकाले गये बाल, इत्यादि |
- सम्पत्ति को नुकसान – टूटी खिड़कीयाँ, टूटा दरवाजा, अपकारक भित्तिलेख

हम फ़ोटोग्राफ़ सम्बन्धित सबूत भी रेकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे कि भाविष्य में अगर आप कभी इस मामले के खिलाफ कोई कार्य करना चाहें तो आपके पास सबूत मौजूद हो | यदि अत्याचारित व्यक्ति यह निर्णय करता है कि उसे इस मामले का विरोध करना है तो उस स्थिति में इस सबूत का आपराधिक न्यायालय अथवा दीवानी कार्रवाई में प्रयोग किया जा सकता है | अन्यथा, इस सबूत को फाइल पर भी रखा जा सकता है (बृहत्तम 6 साल के लिये) या आप चाहें तो आप इन तस्वीरों को नष्ट भी करा सकते हैं | आप क्या करना चाहते हैं इस विषय पर निर्णय लेने के लिये सहायता प्राप्त करने के लिये आप सहायता एवं सूचना से सम्पर्क कर सकते हैं |

आपके सबूत को रेकॉर्ड करने के लिये कभी आप के साथ जबरदस्ती नहीं की जायेगी – हम केवल आपके सहमती से तस्वीरें लेंगे | हम सारे अत्याचार के शिकार व्यक्तियों के साथ मान एवं सहानुभूति से पेश आते हैं | हम संवेदनशील होंगे और हम यह समझते हैं कि कुछ अत्याचार नीजि और गुप्त हो सकते हैं | वि.ई.वि की एजेंसियाँ किसी को नहीं बतायेंगी कि उनके पास आपकी तस्वीर हैं | यदि आपने इस अपराध के बारे में पुलिस को सूचित किया है तो फिर अपको वि.ई.वि की सेवाओं की कोई आवश्यकता नहीं है | पश्चिम मिडलैंडस में 34 ऐसी एजेंसियाँ हैं जो वि.ई.वि सेवा प्रदान करती हैं, अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये <u>0121 544 4336</u> पर विकटिम सपोर्ट से सम्पर्क करें |

यह परिकल्पना विकटिम सपोर्ट द्वारा परिचालित है, अधिक जानकारी के लिये 0121 543 1722 पर लूसी जॉर्ज से सम्पर्क करें |

यह पत्रिका इनके द्वारा दी जा रही है :

(Leaflet given out by)

Victim Support West Midlands

Helping people cope with crime

(VEV leaflet – Hindi Translation, Oct 2007)